न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17 / 409

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी चारभुजा जी के मंदिर के पास ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा । ––अपीलान्ट

बनाम

मेहताब सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा । ––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मेघराज सिंह शक्तावत, श्री अंसार अहमद अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक: 09.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.50 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम कर दी गई थी और साक्ष्य प्रारम्भ हो चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व न्यायालय में रखते हुए निर्णित कर दिया । उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि को वादी द्वारा अपीलान्ट को बेचान कर दिया था । अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर उक्त निर्णय एवं डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.06.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट ने कब्जा कर लिया है उक्त भूमि में अपीलान्ट की हैसियत एक अतिकमी के रूप में से जिससे वादी रेस्पोडेन्ट अपने खातेदारी की भूमि से उसे बेदखल कराने का अधिकारी है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 07.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 409

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी चारभुजा जी के मंदिर के पास ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

मेहताब सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 119 / दावा / 2012

मेहताब सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी चारभुजा जी के मंदिर के पास ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा . के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बी0 सी0 मालवीय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मेघराज शक्तावत एवं श्री अंसार अहमद के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 07.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 09.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा